

दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.J/P 535/II/4/TTI/Vol 9

मंडल कार्यालय/Divisional Office  
कार्मिक शाखा/Personnel Branch  
पालक्काड/Palakkad  
दि.Date:24.01.18

कार्यालय आदेश सं/ Office Order No.J/TC 4 /2018

विषय : टिकट जाँच कर्मचारियों की अंतर मंडल आपसी स्थानांतरण

Sub : Inter Divisional Mutual Transfer of Ticket checking staff

संदर्भ: 1] इस का.आ सं जे/टीसी 3 /18 दि 23.01.18

2] मरेग्र/का/ मद्रास का.आ.सं.एम/पी(एस) 301 /2017 दि.15.12.17

Ref: 1] This Office Order No.J/TC 3/18 Dt: 23.01.18

2] DRM/P/MAS Office Order No.M/P(S)/301/2017 Dt.15.12.17

\*\*\*\*\*

- I. संदर्भाधीन का.आ के अनुसार VII वे.आ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 पर कार्यरत श्री. रेजिकुमार आर उप टिकट निरीक्षक/मद्रास(भ.नि.सं 08245514 ) को VII वे.आ के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 पर कार्यरत श्री जयगणेश एम ,चटि.निरी/शा/पालक्काड के साथ अंतर मंडल आपसी स्थानांतरण पर पालक्काड मंडल को स्थानंतरित किया गया है। उन्होंने दि-08.01.18 को पालक्काड मंडल में कार्यग्रहण किया है और अब उन्हें तत्काल प्रभाव से चटि.निरी./दस्ता/षोर्णूर को तैनात किया जाता है। दि.08.1.18 to 23.1.18 तक की अवधि को आदेश की प्रतीक्षा में माना जाए।

In terms of the office orders under reference, Shri.RejiKumar.R, Dy.CTI/BG III /MAS Division [PF No.08245514 ], in level 6 of pay matrix VII PC has been transferred to PGT Division on Inter divisional mutual transfer with Shri.Jai Ganesh.M,TTI/SL/PGT [PF.No.05472957] in level 6 of pay matrix VII PC. He has reported at PGT Division on 8.1.18 and is posted as TTI/Squad/SRR with immediate effect.The period from 8.1.18 to 23.1.18 may be treated as waiting for orders.

- II. श्री जयगणेश एम ,चटि.निरी/शा/पालक्काड को मद्रास मंडल को भारमुक्त किया जाएगा। उन्हे रेलवे बोर्ड के पत्र सं ई एन जी 1 2001/टी आर/16 दि. 21.11.2001 के अनुसार समुचित पहचान पर्ची/अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज़ का फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ वमकाधि/का/पालक्काड को कार्यमुक्त किया जाए।

Shri.Jai Ganesh.M ,TTI/SL/PGT may be relieved to carry out his inter divisional mutual transfer to MAS Division with immediate effect. He may be relieved to Sr.DPO/O/PGT with proper identification memo ,attested passport size photograph, signature and thumb impression, in terms of Railway Board's letter No.E(NG)I-2001-TR/16 dated 21-11-2001(RBE No.229/2001).

वे किसी भी तरह के स्थानांतरण सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि उनके स्थानांतरण अपने अनुरोध पर आदेशित है।

The above employees are not eligible for any transfer privileges since the transfers are ordered at their request.

उनकी भारमुक्ति /कार्यग्रहण की तारीख सभी संबन्धितों को यथासमय सूचित की जाए।


The date of relief/joining may please be advised to all concerned in time.



वर्तमान स्टेशन में रेलवे क्वार्टर्स यदि अभिग्रहण में हो तो उनकी भारमुक्ति पर तुरंत खाली करना चाहिए। बशर्ते कि उन्होंने क्वार्टर्स प्रतिधारण के लिए इस कार्यालय से अनुमति न माँगी हो। इसमें चूक करने पर अप्राधिकृत कब्जा माना जाएगा और क्षति किराया उनके वेतन से वसूल किया जाएगा।

Railway quarters occupied if any at their present stations, should be vacated immediately on their relief unless they seek permission for retention of the same from this office. Failure to comply will be treated as un-authorized occupation and damage rent will be recovered from their salary.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This has the approval of the Competent Authority.

  
(वी.पी.रमेश/(V.P.Ramesh)  
सहायि /APO/IT  
कृते बमकाधि/Sr.DPO/PGT

Copy to: DRM/P/MAS, Sr.DCM/PGT, Sr.DCM/MAS, Sr.DFM/PGT, CCI/HQ/PGT,  
CTIS-HQ/PGT, SL/PGT, SS/PGT, Ch.OS-Tfc.Bills, Comml.Br/PGT, P4, Pass,  
DAR, O.O File, PCF, Employees thro'.....  
DS/SRMU/PGT, DS/AI SC/ST /Assn./PGT & DS/AI OBC Assn./PGT.